**भारत सरकार**
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3366**
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

## मिशन शक्ति के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटरों की निगरानी

3366. **श्रीमती डिम्पल यादवः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सखी वन स्टॉप सेंटरों (एसओएससी) के अनुपालन की स्थिति सहित मिशन शक्ति के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटरों के लिए निर्धारित अवसंरचना/न्यूनतम सेवा मानकों का ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त क्षेत्र में एसओएससी में किए गए निरीक्षणों, निगरानी दौरों/कार्य-निष्पादन के आकलन का ब्यौरा क्या है;
(ग) ऐसे निरीक्षणों, दौरों/कार्य-निष्पादन के आकलन की निगरानी के दौरान पहचानी गई कमियों, यदि कोई हों, का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;
(घ) उक्त क्षेत्र में एसओएससी की अवसंरचना, स्टॉफिंग और सेवा प्रदाय को सुदृढ़ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है और पहचान की गई कमियों को दूर करने और मिशन शक्ति के संचालन संबंधी दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

**उत्तर**
**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री**
**(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

**(क):** मिशन शक्ति के दिशानिर्देशों के तहत वन स्टॉप सेंटर देश भर में निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से पीड़ित और संकटग्रस्त महिलाओं को एकीकृत और

तत्काल सहयोग और सहायता प्रदान करता है और उन्हें निर्धारित न्यूनतम अवसंरचना और सेवा मानदंड़ों को पूरा करना आवश्यक है, जिनमें परामर्श के लिए पर्याप्त स्थान, अस्थायी आश्रय, चिकित्सा और कानूनी सहायता, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगम्यता, योजना की ब्रांडिंग वाला एक विशिष्ट वाहन, प्रशिक्षित कर्मचारी तथा संकटग्रस्त महिलाओं को एकीकृत सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय शामिल हैं। इसकी शुरुआत सेअर्थात दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से 30 जून, 2026 तक, 1033 वन स्टॉप सेंटरों को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 991 वन स्टॉप सेंटर पूरे देश में कार्यशील किए जा चुके हैं और इन ओएससी के माध्यम से देश में 15.20 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।

अब तक, उत्तर प्रदेश राज्य में 124 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) कार्यशील किए जा चुके हैं और इन ओएससी के माध्यम से 3.42 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में, वन स्टॉप सेंटर निर्धारित मानकों के अनुरुप सुविधाओं से युक्त एक विशेष सरकारी भवन में क्रियाशील हो रहा है।

**(ख) से (ड़):** मिशन शक्ति एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की जिम्मेदारी है। मिशन शक्ति के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। देश भर में ओएससी के सुचारु संचालन के लिए पर्याप्त कर्मचारी और अवसंरचना सहायता प्रदान की जाती है।

ओएससी के निरीक्षण/कार्य निष्पादन का आकलन राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया जाता है और निरीक्षणों के दौरान पाई गई कमियों को तुरंत दूर किया जाता है।

इसके अलावा, वर्ष में एक बार, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ योजना के अंतर्गत क्रियाकलापों की प्रगति की निगरानी करता है और उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति, महिलाओं और बच्चों के लिए प्रभावी सेवा प्रदायगी की समीक्षा करता है। इसके अलावा, मंत्रालय के अधिकारी समय-समय पर बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से योजना की निरंतर समीक्षा करते हैं।

मंत्रालय ने मिशन शक्ति डैशबोर्ड भी तैयार किया है, जो जिला, राज्य, और राष्ट्रीय स्तरों पर, मिशन शक्ति के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन की तत्समय निगरानी को सुगम बनाता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के साथ मिलकर मिशन शक्ति के अंतर्गत लाभार्थियों की बढ़ती मांग, दृश्यता और समय पर सहायता के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।

*****